उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-229/2019/4503/26-3-2019
लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर 2019

शुद्धि पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरैसा, मंझनपुर जनपद-कौशाम्बी में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-216/2019/4249/ 26-3-2019, दिनांक-06.10.2019 के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, किन्तु उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण के स्थान पर लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश में लेखाशीर्षक-4225-01-789-01-07-24 के स्थान पर लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-24-वृहद निर्माण पढ़ा जाय।

2- अतएव शासनादेश संख्या-216/2019/4249/26-3-2019, दिनांक-06.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृसं0-229/2019/4503(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, कौशाम्बी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8-प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in